क्रम-संख्या—211

रजि. नं. एल. डब्लू./एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०—41

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 28 जुलाई, 1999

श्रावण 6, 1921 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1485/सत्रह-वि-1—1-(क)23-1999

लखनऊ, 28 जुलाई, 1999

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 1999 पर दिनांक 27 जुलाई, 1999 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1999 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 1999

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1999]

[(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)]

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 1999 कहा जायेगा।

(2) यह 21 मई, 1999 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1999 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 की, जिसे आगे अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

"(घ-1) 'समूह क के पद' या 'समूह ख के पद' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस रूप में विनिर्दिष्ट पद से है;"

धारा 3 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (1) में खण्ड (एक) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :—

"(एक) लोक सेवाओं और पदों में रिक्तियों का दो प्रतिशत स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए;

(एक-क) समूह 'क' के पदों या समूह 'ख' के पदों से भिन्न लोक सेवाओं और पदों में 21 मई, 1999 को और से रिक्तियों का दो प्रतिशत, और ऐसे दिन को और से जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 1999 राजपत्र में प्रकाशित किया जाय, रिक्तियों का पांच प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों के लिए;"

धारा 5 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 5 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थात् :—

"(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 1997 द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसे मामलों में लागू नहीं होंगे जिनमें 1997 के उक्त अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व चयन प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी हो और ऐसे मामले इस अधिनियम के ऐसे उपबन्धों के अनुसार, जैसे वे ऐसे प्रारम्भ के पूर्व थे, व्यवहृत किये जायेंगे।

(1-क) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 1999 द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसे मामलों में लागू नहीं होंगे जिनमें 1999 के उक्त अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व चयन प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी हो और ऐसे मामले इस अधिनियम के ऐसे उपबन्धों के अनुसार, जैसे वे ऐसे प्रारम्भ के पूर्व थे, व्यवहृत किये जायेंगे।

स्पष्टीकरण—उपधारा (1) और (1-क) के प्रयोजनों के लिए वहीं चयन प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी समझी जायगी, जहां सुसंगत सेवा नियमावली के अधीन की जाने वाली भर्ती;—

(एक) केवल लिखित परीक्षा या साक्षात्कार के आधार पर की जानी हो और वहां यथास्थिति लिखित परीक्षा या साक्षात्कार प्रारम्भ हो गया हो; या

(दो) लिखित परीक्षा और साक्षात्कार, दोनों के आधार पर की जानी हो और वहां लिखित परीक्षा प्रारम्भ हो गयी हो।"

निरसन और व्यावृत्ति

5—(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 1999 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा-संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
अनुभाग सचिव।

No. 1485(2)/XVII-V-1—I(KA)-23-1999

Dated Lucknow, June 28, 1999

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Lok Seva (Shariric Roop Se Viklang, Swatantrata Sangram Senaniyon Ke Ashrit Aur Bhootpurva Sainikon Ke Liye Arakshan (Sanshodhan) Adhiniyam, 1999 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 29 of 1999) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on July 27, 1999.

THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICES (RESERVATION FOR PHYSICALLY HANDICAPPED, DEPENDENTS OF FREEDOM FIGHTERS AND EX-SERVICEMEN) (AMENDMENT) ACT, 1999

[U. P. Act No. 29 of 1999]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN
ACT

further to amend the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993.

It is hereby enacted in the Fiftieth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) (Amendment) Act, 1999.

(2) It shall be deemed to have come into force on May 21, 1999.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 4 of 1993

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993, hereinafter referred to as the principal Act, *after* clause (*d*) the following clause shall be *inserted*, namely :—

"(*d-i*) 'group A post' or 'group B post' means the post specified as such by the State Government from time to time ;"

Amendment of section 3

3. In section 3 of the principal Act, in sub-section (1) *for* clause (*i*) the following clauses shall be *substituted*, namely :—

"(*i*) in public services and posts two per cent of vacancies for dependents of freedom fighters ;

(*i-a*) in public services and posts other than group 'A' posts or group 'B' posts, on and from May 21, 1999 two per cent of vacancies, and on and from the date on which the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) (Amendment) Act, 1999 is published in the *Gazette* five per cent of vacancies, for Ex-servicemen;"

Amendment of section 5

4. In section 5 of the principal Act, *for* sub-section (1), the following sub-sections shall be *substituted*, namely :—

"(1) The provisions of this Act as amended by the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-servicemen) (Amendment) Act, 1997 shall not apply to cases in which selection process has been initiated before the commencement of the said Act of 1997 and such cases shall be dealt with in accordance with the provisions of this Act as they stood before such commencement.

(1-A) The provisions of this Act as amended by the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-servicemen) (Amendment) Act, 1999 shall not apply to cases in which selection process has been initiated before the commencement of the said Act of 1999 and such cases shall be dealt with in accordance with the provisions of this Act as they stood before such commencement.

Explanation—For the purposes of sub-sections (1) and (1-A) the selection process shall be deemed to have been initiated where, under the relevant service rules, recruitment is to be made on the basis of,—

(*i*) written test or interview only, the written test or the interview as the case may be, has started; or

(*ii*) both written test and interview, the written test has started."

Repeal and savings

5. (1) The Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-servicemen) (Amendment) Ordinance, 1999 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were inforce at all material times.

By order,

Y. R. TRIPATHI

Pramukh Sachiv.

पी० एस० यू० पी०--ए० पी० 90 सा० विधा०—(804)--1999--850 (मेक०)।